न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09 / 2022

आम जनता ग्राम नयागांव, ग्राम पंचायत पडासोली, पंचायत समिति दूदू जरिये प्रतिनिधि :–

1. श्योकरण पुत्र भींवाराम जाट, निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. मदन पुत्र श्योजीराम कुम्हार निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
3. लक्ष्मण चौधरी पुत्र रायचन्द निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
4. रामजीवण पुत्र भूराराम जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
5. हनुमान पुत्र मांगु जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
6. रायचन्द पुत्र नाथूराम जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
7. मोहन पुत्र छीतर जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
8. जगदीश पुत्र सुरजकरण जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
9. शिवचन्द पुत्र धन्ना जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
10. श्योजी पुत्र रामनारायण जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
11. रामोतार पुत्र हनुमान जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
12. मंगलाराम पुत्र हरकरण जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
13. सरदार पुत्र किशना जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
14. लक्ष्मण पुत्र भैरू जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
15. नाथूराम पुत्र कालू जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
16. रामजीवण पुत्र रंगलाल निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
17. भंवरलाल पुत्र रंगलाल जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
18. बंशी पुत्र नाथू जाट निवासी नयागांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

प्रार्थी / निगरानीकार

बनाम

1. गोरधन पुत्र छीतर जाट निवासी नयागांव, ग्राम पंचायत पडासोली, तह0 दूदू, जयपुर।
2. गंगाराम पुत्र छीतर जाट निवासी नयागांव, ग्राम पंचायत पडासोली, तह0 दूदू, जयपुर।
3. छोगाराम पुत्र छीतर जाट निवासी नयागांव, ग्राम पंचायत पडासोली, तह0 दूदू, जयपुर।
4. कमला पुत्री छीतर जाट पत्नी मांगुराम हाल निवासी देवपुरा, तहसील दूदू, जयपुर।
5. केली पुत्री छीतर जाट हाल निवासी बुहारू, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर ।
6. नारायणी पुत्र छीतर पत्नी मेवाराम जाट हाल निवासी देवपुरा, तहसील दूदू, जयपुर ।
7. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत पडासोली, पं0स0 दूदू, जिला जयपुर।
8. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत साखून, पं0स0 दूदू, जिला जयपुर।

अप्रार्थी / गैरनिगरानीकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री भैरूलाल शर्मा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार की और से।
2. श्री आर.एस. मण्डावरी विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/गैरनिगरानीकार की और से।

निर्णय दिनांक :– 20.05.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता छीतर पुत्र रामनाथ द्वारा एक आवेदन बाबत् दिलवाये जाने पट्टा ग्राम नयागांव का प्रस्तुत किया गया जिसमें सीमाये पूर्व में सुवा, रामनारायण का मकान, पश्चिम में सार्वजनिक चौक, उत्तर में तेजुराम घासल का मकान, दक्षिण में सार्वजनिक चौक अंकित करते हुये प्रस्तुत किया। जिसपर अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये। जिसमें कोई नापचौक व नक्शा अंकित नहीं किया गया तथा नक्शा नवीस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गोपीलाल शर्मा से तैयार करवाया गया, जिसमें पूर्व से पश्चिम 47 फीट व उत्तर से दक्षिण 50 फीट को काटकर 60 फीट अंकित कर दक्षिण में सार्वजनिक चौक अंकित किया गया तथा कुल 313.3 वर्गगज का पट्टा बिना किसी कानुनी कार्यवाही के बिना नोटिस जारी किये, बिना चस्पा किये जारी कर साईक्लो स्टाईल में मौका रिपोर्ट पर फैसला फार्म जो कि खाली है, पर दिनांक 04.09.1984 को बिना अंकन किये फैसला छाप दिया गया तथा उसकी अनुपालना में पट्टा संख्या 1/15 दिनांक 18.12.1984 को जारी किया गया। जिससे व्यथित होकर निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत साखून द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.1984 एवं उसकी पालना में दिया गया पट्टा संख्या 1/15 दिनांक 18.12.1984 राजस्थान पंचायत एक्ट विधि के सारभूत सिद्धांत एवं प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 7 के द्वारा जारी पट्टा में अंकित नापचौक दक्षिण में सार्वजनिक चौक व पश्चिम में सार्वजनिक चौक अंकित है। तथा अंकित नापचौक पूर्व से पश्चिम 60 फीट और उत्तर से दक्षिण 47 फीट अंकित है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा अंकित नक्शा ट्रेस में उत्तर से दक्षिण 60 फीट व पूर्व से पश्चिम 47 फीट अंकित है। जो कि एक–दूसरे के विरोधाभासी है। इसलिये प्रत्यर्थी संख्या 1 ल0 6 उक्त लिपिकिय त्रुटि का फायदा उठाते हुये दक्षिणी और 13 फीट सार्वजनिक चौक व कबुतर खाना है, पर जबरन अतिक्रमण उक्त अवैधानिक पट्टे के आधार पर करना चाहते है। आवेदन पर कोई नापचौक व सीमाये अंकित नहीं है। आपत्ति नोटिस दिनांक 08.01.1987 जारी किया गया है जबकि निर्णय दिनांक 06.09.1984 एवं पट्टा दिनांक 18.12.1984 को जारी हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने सार्वजनिक चौक जो कि दक्षिणी ओर होना पट्टा धारक द्वारा स्वीकार किया गया है तथा मौके पर कबुतर खाना अवस्थित है का पट्टा अज्ञानतावश, तथ्य एवं विधि की भूलवश दे दिया गया है। मौके पर पट्टाधारी छीतर का पुख्ता मकान 47 फीट उत्तर से दक्षिण व 60 फीट पूर्व से पश्चिम मौके पर बना हुआ है। इसके विपरित संलग्न नक्शा में नापचौक पूर्व से पश्चिम 47 फीट व उत्तर से दक्षिण 60 फीट अंकित कर दी गई है, जबकि पट्टे में अंकित नापचौक पूर्व से पश्चिम 60 फीट है व उत्तर से दक्षिण 47 फीट है। सार्वजनिक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

चौक ग्राम नयागांव के विख्यात शिव मंदिर के प्रांगण में स्थित सार्वजनिक चौक है, जिसमें हाल ही ग्राम वासियों के सहयोग से नवीन मन्दिर का वर्ष 2018 में मन्दिर जीर्णोधार करीब 3 वर्ष तक चला तब मन्दिर मूर्तियाँ वर्ष 2018 से फरवरी 2022 तक अर्थात 3 वर्ष तक मन्दिर के सामने व आम रास्ता के उत्तर की ओर एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 ल0 6 के पिता के हक में जारी पट्टे के दक्षिणी घुमटी बनाकर ग्रामवासियों द्वारा उक्त अस्थायी मन्दिर में मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना भोग आरती की गई थी। उक्त गुमटी में विराजमान भगवान शिव की मूर्ति दिनांक 14.02.2022 को नवीन मन्दिर में पदस्थापित नवीन मूर्ति प्रतिष्ठा करवाये जाने के पश्चात गुमटी में विराजीत पुरानी मूर्ति को समस्त ग्राम वासियों द्वारा पुष्कर सरोवर में विसर्जित किया गया। तथा गुमटी व मन्दिर यथावत रहा। दिनांक 08.07.2022 को प्रत्यर्थी 1 ल0 6 द्वारा उक्त गुमटी नुमा पुख्ता मन्दिर को ध्वस्त कर मलबा मन्दिर प्रांगण पश्चिमी ओर स्थित सार्वजनिक चौक पर डाल दिया तथा जो मन्दिर एवं कबुतर खाना था जिसपर अवैधानिक पट्टे के आधार पर स्वामित्व का दावा प्रस्तुत किया तथा धमकी दी कि उक्त सार्वजनिक चौक का पट्टा पूर्व में बिना जानकारी के बनवा लिया है जिससे समाज व ग्राम में अशान्ति उत्पन्न होने पर पुलिस थाना नरैना को सुचित किया गया जिसपर समाज ग्रामीणों व प्रत्यर्थी संख्या 8 की उपस्थिति में विवादित स्थल कबुतरखाना पर डाली गई छडिया को हटाने का आश्वासन दिया परन्तु 05.08.2022 को उक्त कबुतर खाने में अवैध निर्माण व कब्जा करने की धमकी दी इसलिये आवश्यक हुआ है कि आदेश दिनांक 06.09.1984 व पट्टा दिनांक कमांक 1/15 दिनांक 18.12.1984 को निरस्त करवा लेवें। निगरानीधीन आदेश व पट्टे की प्रथम बार जानकारी दिनांक 08.07.2022 को प्रत्यर्थी सं0 1 ल0 6 द्वारा उक्त गुमटी नुमा पुख्ता मन्दिर को ध्वस्त कर मलबा मंदिर प्रांगण पश्चिमी ओर स्थित सार्वजनिक चौक पर डाल दिया तथा जो मन्दिर एवं कबुतर खाना था जिसपर अवैधानिक पट्टे के आधार पर स्वामित्व का दावा प्रस्तुत किया तथा धमकी देने से हुई है तत्पश्चात आवश्यक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर अविलम्ब निगरानी प्रस्तुत की गई। नकल मिलने की दिनांक से निगरानी अदंर मियाद प्रस्तुत है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी सं0 7 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 ल0 6 के पिता छीतर पुत्र रामनाथ जाट निवासी नयागांव के हक में पारित आदेश दिनांक 06.09.1984 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 1/15 दिनांक 18.12.1984 सार्वजनिक चौक जो कि दक्षिणी ओर स्थित है तथा कबुतर खाना ग्राम नयागांव जो कि पूर्व से पश्चिम 60 फीट व उत्तर–दक्षिण 22 फीट छीतर के मकान के दक्षिणी ओर लगवा स्थित है कि हद तक निरस्त फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगरानीकर्ता/ अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूदू से मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार दूदू के पत्रांक राजस्व/2024/407 दिनांक 08.07.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत नयागांव के पट्टा संख्या 1/15 दिनांक 18.12.1984 का मौका मुआयना किया गया मौके पर पुख्ता मकान बना हुआ है मौके पर निरीक्षण करने के बाद राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी से मिलान किया गया मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के उक्त पट्टा ग्राम नयागांव की आबादी भूमि खसरा नंबर 1090 में दर्ज रिकॉर्ड है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा पट्टा के संबंध में सीमायें व पैमाईश सही है 60 के स्थान पर 60 दर्ज करने से प्रार्थना पत्र गलत नहीं हो जाता है और प्रार्थी स्वयं अनपढ है तो किसी अन्य से लिखा पढी करवाना कानून में वर्जित नहीं है शेष ईबारत कताई मनगढन्त है। पट्टा व निर्णय नियमानुसार राशि प्राप्त करके दिया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा पट्टे में दर्ज ईबादत को अपने अनुसार दर्ज की है जो पट्टे में नाप दी गयी है स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के दर्ज करने से गलत नहीं हो सकती है, पूर्वी भुजा और पश्चिमी भुजा 60 फीट है और उत्तरी भुजा और दक्षिणी भुजा 60 फीट है जो गोपीलाल चतुर्थ श्रेणी ग्राम पंचायत साखून ने भी यही दर्ज किया है और पट्टे में भी यही अंकित है। कोई लिपिकीय त्रृटि नहीं है। सार्वजनिक चौक में निगरानीकार के मकान के सामने करीब 20 फीट छोडकर शिव मंदिर है मौके पर कोई कबुतर खाना नहीं है। अप्रार्थी का मकान सहित सम्पूर्ण में कब्जा पट्टे से पहले ही मौजूद था इसलिए पैमाईश गलत दर्ज नहीं है। ग्राम पंचायत में चपरासी की रिपोर्ट में तारीख दिनांक 08.07.1984 स्पष्ट रूप से दर्ज की गयी है 87 न होकर 84 ही है निर्णय दिनांक 06.09.1984 व पट्टा दिनांक 18.12.1984 को जारी होना सही है। कबुतरखाना आज भी नहीं है। केवल प्रार्थी को परेशान करने के लिए नाजायाज गिरोह बना रखा है जो मनगढन्त मुकदमें बनाकर परेशान करना चाहते है। पट्टा में पंचों को मौका रिपोर्ट ली जाकर पट्टा दिया गया है। मौके पर कबुतर खाना होता तो कबुतर खाना पंचगण अपनी रिपोर्ट में जरूर दर्ज करते। 40 वर्ष में तो कबुतर खाना रहा नहीं है। मकान की पैमाईश से पट्टा की पैमाईश नहीं बदल जाती है। चौक का पट्टा दिया गया है यह किस दस्तावेज के आधार पर निगरानीकर्ताओं द्वारा यह तथ्य दर्ज किया गया है चौक की नाप क्या रिकार्डेड रही है ऐसा भी तथ्य निगरानीकार ने दर्ज नहीं किया है। मंदिर निर्माण के समय अप्रार्थीगण के कब्जे की भूमि में अस्थाई रूप से मंदिर की मूर्तियों को इजाजत लेकर रखी गयी थी ओर मंदिर का निर्माण पुरा हो जाने पर अस्थाई रूप से रखी मूर्तियॉं का गॉव वालों द्वारा उठाकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गयी। वहॉं पर कबुतर खाना की ईबादत निगरानीकार द्वारा गलत दर्ज किया गया है। अप्रार्थी की भूमि को जबरिया लेने पर तुले हुये है। निगरानीकर्ताओं को पट्टे की भलीभांति जानकारी रही है गलत रूप से दिनांक 08.07.2022 को जानकारी होना दर्ज किया है। निगरानी मियांद बाहर है। अप्रार्थी का पट्टा दिनांक 18.12.1984 के विरूद्ध 40 वर्ष हो जाने के पश्चात मियांद बाहर गैर कानूनी रूप से निगरानी पेश की गई है। निगरानी में जिन पक्षकारों के हस्ताक्षर है वा पक्षकार ही नहीं बनाये गये है जिससे स्पष्ट जाहिर है कि हस्ताक्षर किसी बहाने से करवाये जाकर निगरानी पेश कर दी गयी है। प्रस्तुत निगरानी में कैलाश, प्रधान चौधरी, रूपनारायण, हरकरण, श्योराज चौधरी, जीतराम जाट के हस्ताक्षर है और निगरानी में पक्षकार ही नहीं है फिर किस आधार पर हस्ताक्षर करवाये गये है। निगरानीकर्ताओं द्वारा एक वाद इसी पट्टा को लेकर माननीय सिविल न्यायालय में भी प्रस्तुत कर रखा है। प्रस्तुत निगरानी 10 सीपीसी के तहत कार्यवाही स्थगित फरमायी जाना न्यायोचित है। अतः जवाब निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निगरानी मय हर्जा खर्चा विशेष सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें।

निगरानी पर वकील प्रार्थी ने लिखित बहस पेश की गई। वकील प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत साखून द्वारा विधि विरूद्ध बिना प्रक्रिया अपनाये पट्टा संख्या 1/15 दिनांक 18.12.1984 जारी किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर

दूदू

पंचायत बैठक में पत्रावली निर्णित करने हेतु नहीं रखी गयी। न ही कार्यवाही आदेशिकाएँ संधारित की गयी। न ही पंचायत कोरम में इस आशय का प्रस्ताव लिया गया तथा पत्रावली में फैसले में प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। आपसी बातचित में नियम 266(क) व 266 (ख) के प्रावधानों अनुरूप उल्लेख नहीं किया गया। नियमों के अनुरूप प्रकिया नहीं अपनाई गई। जबकी आवेदनकर्ता को नक्शा मय सीमा दर्शाना मेन्डेटरी प्रोविजन है। प्रस्तुत आवेदन में कोई मापचौक एवं सीमायें अंकित नहीं है। कानूनन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नक्शा तैयार का एवं उसमें मनमर्जी से कटिंग करने का कानूनी अधिकार नहीं है। विशेषकर प्रस्तुत आवेदन में जब कोई नापचौक भी अंकित नहीं की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस दिनांक 08.01.1987 जारी किया गया है जबकि निर्णय दिनांक 06.09.1984 व पट्टा दिनांक 18.12.1984 को जारी किया जा चुका है। नियम 266 के तहत कब्जेशुदा पुस्तैनी कदीमी मकान का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। सार्वजनिक चौक पर छीतर कानूनन स्वतत्व का दावा नहीं कर सकता है। दिनांक 08.01.1987 को आपत्ति नोटिस सुचना पत्र खाली है जिसमें नापचौक का अंकित नहीं किया गया है। इसी अनुरूप फैसला फार्म कतई खाली है जिसपर ग्राम पंचायत तारीख दायरा मामला तारीख एवं आवश्यक इन्द्राज का अंकन नहीं है। न्यायालय सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दूदू द्वारा मांगी रिपोर्ट के अनुरूप प्रत्यर्थी का मकान पूर्व से पश्चिम 45 फीट, 9 फीट पश्चिमी ओर टीनशेड एवं चबूतरा एवं उत्तर से दक्षिण 49 फीट पर निर्माण एवं दक्षिणी और विवादित जगह पर छडिया डालकर अतिक्रमण करना साबित हैं जो कि पट्टे में वर्णित नापचौक एवं पटवार हल्का पडासौली द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विपरीत पट्टा जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। एवं बिना उद्घोषणा नियम 133 के उपनियम 2 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत साखून द्वारा जारी पट्टा संख्या 1/15 दिनांक 18.12.1984 सार्वजनिक चौक जो कि पट्टे में दक्षिणी ओर अंकित किया गया है जो वर्तमान में कबुतरखाना ग्राम नयागांव पूर्व से पश्चिम 60 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 22 फीट छीतर के मकान के दक्षिणी ओर स्थित है कि हद तक निरस्त फरमाया जावें। वकील अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के समर्थन में हमारा ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टान्तों की ओर आकर्षित किया –

1. राजस्थान पंचायत अधिनियम धारा 255, 257, 258, 259, व 266
2. राजस्थान पंचायत राज नियम धारा 146, 147 व 148

अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि सार्वजनिक चौक में निगरानीकार के मकान के सामने करीब 20 फीट छोडकर शिव मंदिर है मौके पर कोई कबुतर खाना नहीं है। अप्रार्थी का मकान सहित सम्पूर्ण में कब्जा पट्टे से पहले ही मौजूद था इसलिए पैमाईश गलत दर्ज नहीं है। ग्राम पंचायत में चपरासी की रिपोर्ट में तारीख दिनांक 08.07.1984 स्पष्ट रूप से दर्ज की गयी है 87 न होकर 84 ही है निर्णय दिनांक 06.09.1984 व पट्टा दिनांक 18.12.1984 को ही जारी किया गया है। कबुतरखाना आज भी नहीं है। केवल प्रार्थी को परेशान करने के लिए नाजायाज गिरोह बना रखा है जो मनगढन्त मुकदमें बनाकर परेशान करना चाहते है। पट्टा में पंचों को मौका रिपोर्ट ली जाकर पट्टा दिया गया है। मौके पर कबुतर खाना होता तो कबुतर खाना पंचगण अपनी रिपोर्ट में जरूर दर्ज करते। 40 वर्ष में तो कबुतर खाना रहा नहीं है। मकान की पैमाईश से पट्टा की पैमाईश नहीं बदल जाती है। चौक का पट्टा दिया गया है यह

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

किस दस्तावेज के आधार पर निगरानीकर्ताओं द्वारा यह तथ्य दर्ज किया गया है। अप्रार्थी का पट्टा दिनांक 18.12.1984 के विरूद्ध 40 वर्ष हो जाने के पश्चात गैर कानूनी रूप से निगरानी पेश की गई है। अतः निवेदन है कि निगरानीदार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट व अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत साखून की पत्रावली का अवलोकन किया तथा संबंधित कानून के परिप्रेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत साखून की मूल पत्रावली के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ल0 6 के पिता छीतर के पट्टा आवेदन पत्र पर कौरम में विचार विमर्श के बाद तीन वार्ड पंचो की उपस्थिति में स्थल का मौका निरीक्षण करवाया गया है। वार्ड पंचो ने अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ल0 6 के पिता छीतर के खाम मकान का पट्टा 20 पैसे प्रति वर्गगज से 313 1/3 वर्गगज जमीन का पट्टा प्रार्थी के नाम से बनाने की सिफारिश की है। अप्रार्थी का पुराना कब्जा है। ग्राम पंचायत साखून ने एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया है। उसके पश्चात फैसला फॉर्म दिनांक 06.09.1984 को ग्राम पंचायत कौरम के अनुमोदन पश्चात संकल्प संख्या 102 दिनांक 06.09.1984 द्वारा पट्टा संख्या 1/15 दिनांक 18.12.1984 नियम 266 के अनुसरण में बासठ रूपये साठ पैसे वसूल कर पट्टा जारी किया है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी 7 ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ल0 6 के पिता छीतर को पट्टा जारी किया है जिसमें किसी प्रकार का विधिक त्रूटी होना नही पाई गई है। निगरानीधीन पट्टे में कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत साखून का निर्णय दिनांक 06.09.1984 यथावत रखा जाता है। पट्टे की सीमा से बाहर यदि कोई अतिक्रमण पाया जावें तो उसके लिए ग्राम पंचायत साखून निमयानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी के निगरानी में वर्णित तथ्य साबित नही होने से प्रार्थी की निगरानी धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति. जिला कलक्टर
दूदू